[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3,

SUB-SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

INCOME-TAX

G.S.R (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 115BBF, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (5th Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2017.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), after rule 5F, the following rule shall be inserted, namely:-

"5G. Option form for taxation of income from patent under section 115BBF.-

- (1) For the purposes of exercising the option for taxation of income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in India, by an eligible assesse undersection 115BBF, the eligible assesses shall furnish Form No.3CFA duly verified in the manner indicated therein, and the same shall be furnished by the eligible assessee in the following manner, namely:-
- (i) electronically under digital signature; or
- (ii) electronically through electronic verification code.
- (2) The form referred in sub-rule (1) shall be complete in all respects and furnished on or before the due date specified in *Explanation 2* below sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income for the relevant assessment year, in case the option is exercised for that assessment year.
- (3) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing and verification of the Form referred in sub-rule (1).

3. In the principal rules, in Appendix II, after 'Form No. 3CF-III', the following Form shall be inserted, namely:-

Form No. 3CFA (See sub-section (3) of section 145BBF Read with rule 5G)

Form for Opting for taxation of income by way of royalty in respect of Patent

- 1. General:
 - (a) Full name of the assessee:
 - (b) Permanent Account Number:
 - (c) Address of the assessee:
 - (d) Nature of business or activities of the assessee:
 - (e) Status
- 2. Whether the option for offering the income by way of royalty in respect of a patent as per section 115BBF is to be exercised for the assessment year? Yes/No
 - (i) if yes, following details be provided,-
 - (1) previous year ended:
 - (2) assessment year:
 - (3) date of furnishing of return of income for the assessment year (if filed already):
- 3. Whether the income by way of royalty in respect of the patent is not offered for taxation as per the section 115BBF for any of the five assessment years succeeding the assessment year in which the option for taxation of income by way of royalty under section 115BBF is validly exercised. Yes/No
 - (i) If yes, following details be provided-
 - Previous year ended on which the option for taxation of income by way of royalty under section 115BBF is first validly exercised:
 - (b) Assessment year ended on which the option for taxation of income by way of royalty under section 115BBF is first validly exercised*:
 - (c) date of furnishing of return of income for the assessment year mentioned in (b) above:

4. **Eligible Patent:

Sl. No	Particulars in respect of patent	Remarks
A.	Patent Details	
	(a) Patent Number granted under the Patents Act, 1970.	
	(b) Date of grant of patent under the Patents Act, 1970.	
	(c) Description of the patent developed and registered in Irdia containing the invention, patent article and patent process as detailed out in section 2 of the Patents Act.	
	(d) Whether the patent is granted to single persons:	
	If Yes:	
	Name of the patentee being the true and first inventor as entered in patent register.	
	If No:	
	Name of the patentees of the patent (patentee being the true and first inventors as entered in patent register).	
B.	Royalty Income from eligible patent	.
	 (a) Amount of royalty income from eligible patent for the previous year. (b) Nature of royalty income derived from the eligible patent for the previous year as referred to in clause (h) of Explanation to Section 115BBF. (i) transfer of all or any rights (including the granting of a license) in respect of Patent; (ii) imparting any information concerning the working of, or the use of, a patent; (iii) Use of any patent; (iv) rendering of any services in connection with the activities referred to in sub-clause (i) to (ii) 	
C.	Expenditure incurred on eligible patent	<u> </u>
	(a) Total expenditure incurred on the patent assesee for any invention in respect of which patent is granted under the patents Act, 1970.	
	(b) Expenditure incurred in India by the eligible assesee for any invention in respect of which patent is granted under the patents Act, 1970.	
	(c) Expenditure incurred outside India by the eligible assesee for any invention in respect of which patent is granted under the patents Act, 1970.	
	(d) Whether the expenditure incurred in (b) above is seventy five per cent, or more than the expenditure incurred under (a) above?	Yes/No

***I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished herein is corre	ct and truly
stated.	

Yours faithfully,

Place:

Date:

***Signature
Name
Designation/Capacity
Address

Notes:

- * Details for the relevant assessment year or first of the relevant assessment years, as the case may be, to be provided.
 - ** Particulars of each eligible patent should be reported separately along with royalty income and expenditure incurred details
- ***The form should be furnished and verified by the person authorised to sign the return of income under section 140."

Notification No. 25/2017 [F.No. 370142/1/2017-TPL]

PITAMBER DAS

DIRECTOR (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26^{th} March, 1962 and were last amended *vide* notification number S.O. 1006(E), dated the 30^{th} March, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्था

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 2017

आय-कर

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खखच की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 है ।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 5च के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"5छ धारा 115खखच के अधीन पेटेंट से आय के कराधान के लिए प्ररूप का विकल्प-

- (1) धारा 115खखछ के अधीन कोई पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट और की बाबत स्वामित्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प को प्रयाग करने के प्रयोजनों के लिए, पात्र निर्धारिती इसमें उपदर्शित रीति में सम्यक सत्यापित प्ररूप उगछक में देगा और उसे पात्र निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित में दिया जाएगा, अर्थात :--
- (i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से, या 📍
- (ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम इलैक्ट्रानिक रूप से ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सभी प्रकार पूरा होगा और सुसंगत वर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व दिया जाएगा, यदि उस निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प दिया गया है।
- (3) महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) सुरक्षित और आंकड़ो का पारेषंण सुनिध्यित करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप को देने और सत्यापन के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा । क्रियान्वयन, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट 2 में 'प्ररूप सं.3गच-।।।' के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

प्ररूप 3गचक

(नियम 5छ के साथ पठित धारा 115खखछ की उपधारा (3) देखें) पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प हेतुं, प्ररूप

- 1. साधारण:
 - (क) निर्धारिती का पूरा नाम;
 - (ख) स्थायी लेखा संख्या;
 - (ग) निर्धारिती का पता;
 - (घ) कारबार की प्रकृति या निर्धारिती के क्रियाकलाप
 - (ड) प्रास्थिति
- 2. क्या धारा 115च के अनुसार पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में आय प्रस्थापना के लिए विकल्प निर्धारण वर्ष के लिए प्रयोग किया जाना है? हां/नहीं
- (i) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाए,--
- (1) समाप्ति पूर्व वर्ष:
- (2) निर्धारण वर्ष:
- (3) निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख (यदि पहले ही फाइल किया गया है):
- 3. क्या उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष किसी पांच वर्ष के लिए धारा 115खखच के अनुसार कराधान के लिए पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में प्रस्थापित नहीं की गई है जिसमें धारा 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया है। हां/नहीं
- (i) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएं--
- (क) समाप्ति पर पूर्व वर्ष जिसे धारा 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के काराधान के लिए विकल्प पहले रूप से विधिमा≆य का प्रयोग किया गया है:
- (ख) समाप्ति पर निर्धारण वर्ष जिसे 115खखच के अधीन स्वामिस्व के रूप में आय के कराधान के लिए विकल्प पहले रूप से विधिमान्य का प्रयोग किया गया है;
- (ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लखित निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्त्त करने की तारीख:

क्रम सं0	पेटेंट की बाबत विशिष्टियां	टिप्पणिर
भ	पेटेंट के ब्यारे	
	(क) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन अनुदत्त की गई पेटेंट संख्या ।	
	(ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेंट अनुदत्त करने की तारीख	
	(ग) विकसित पेटेंट का ब्यौरा और आविष्कार, पेटेंट अधिनियम की धारा	
	2 में बयौरेवार के रूप में पेटेंट की प्रक्रिया।	
	(घ) क्या एकल व्यक्तियों के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है:	
	यदि हां:	i
	सत्य और पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के रूप में पहले आविष्करक के पेटेंटी का	
	नाम ।	
	यदि नहीं:	
	पेटेंट के पेटेंटियों के नाम (सत्य और पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के रूप में पहला	
	आविष्कारक) ।	
П.	पात्र पेटेंट से आय का स्वामिस्व	
i	(क) पूर्व वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से स्वामिस्व आय की रकाम ।	
	(ख) धारा 115खखच के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप	
	में पूर्व वर्ष के लिए पात्र पेटेंट से व्युत्पन्न की आय स्वामिस्व आय की प्रकृति ।	
	(i) पेटेंट की बाबत सभी या किन्हीं अधिकार (अनुज्ञप्ति अनुदत्त	
	स्मिनित करते हुए) का अंतरण;	
ĺ	(ii) कार्यरत या उपयोग के संबद्ध किसी सूचना को प्रदान करने का	
	नाम कोई पेटेंट;	
	(iii) किसी पेटेंट का उपयोग;	
	(iv) उपखंड (i) से उपखंड (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से संयोजक में	
	किन्हीं सेवाएं देना;	
	पात्र पेटेंट पर उपगत व्यय	
	(क) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन।	
	अनुदत्त किया गया है, किसी आविष्कार के लिए पेटेंट निर्धारिती पर उपगत कुल	
	च्यय ।	
	(ख) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन	
	अनुदत्त किया गया है, किसी आविष्कार के लिए पात्र निर्धारिती पर व्यय ।	
	(ग) आविष्कार की बाबत जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन	
	अनुदत्त किया गया है, पात्र निर्धारिती द्वारा बाह्य भारत में उपगत व्यय ।	
	(घ) क्या उपर्युक्त (क) के अधीन उपगत पचहत्तर प्रतिशत या अधिक	
į	से भिन्न (ख) उपर्युक्त में उपगत व्यय है?	
	. "	
Ī		हां/नहीं

***घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें यहां दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

***हस्ताक्षर

पदनाम/हैसियत

पता

टिप्पण:

*यथास्थिति, सुसंगत निर्धारण वर्ष या पहला सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ब्यौरे उपबंधित किया जाए । **प्रत्येक पात्र पेटेंट की विशिष्टियां, स्वामिस्व आय और व्यय उपगत ब्यौरों के साथ पृथक रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

***प्ररूप, प्रस्तुत किया जाए और धारा 140 के अधीन आय की विवरणी के हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।"

[अधिसूचना:ब्रे*ुी*2017(एफ.सं0370142/1/2017-टीपीएल]

पीताम्बर दिस पतांबर दास

निदेशक(कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्या का.आ.1006(अ) तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।